भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 400
दिनांक 23 जुलाई, 2025/ 01 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

परमाणु आपदाओं से निपटने के उपाय

400 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या गृह मंत्री दिनांक 23 दिसंबर, 2015 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 265 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर प्रमुख परमाणु आपदाओं से निपटने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है;
(ख) परमाणु दुर्घटनाओं की घटनाओं को प्रबंधित करने के लिए परमाणु प्रतिष्ठानों पर स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करने और स्थानीय पुलिस को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सरकार द्वारा लागू किए गए उपाय क्या हैं;
(ग) विकिरण जनित बीमारी के लिए विशेष डॉक्टोरल कार्यक्रम तैयार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर विकिरण आपदाओं पर कोरिया सरकार के अधिनियम का संज्ञान लिया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी, 2019) के तहत, परमाणु आपात स्थिति के लिए सार्वजनिक डोमेन में प्रतिक्रिया योजना, सर्व-खतरा दृष्टिकोण के तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु एकीकृत जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का एक हिस्सा रही है। किसी भी परमाणु और रेडियोलॉजिकल संबंधी आपदाओं के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) नोडल एजेंसी है और इसने इसके लिए संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार की है।

परमाणु और रेडियोलॉजिकल संबंधी आपात स्थितियों के अंतर्गत, संयंत्र आपात स्थिति, स्थल आपात स्थिति और ऑफ-साइट आपात स्थिति जैसी आपात स्थितियाँ शामिल हैं। ऑफ-साइट आपातकाल में एक बहुत ही असंभावित दुर्घटना की स्थिति/आपात स्थिति शामिल होती है जिसमें संयंत्र से रेडियोधर्मी पदार्थों/खतरनाक रसायनों का सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक उत्सर्जन शामिल होता है जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) स्थल पर संयंत्र आपातकाल और स्थल आपातकाल के लिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) के संचालन हेतु लाइसेंस जारी करने हेतु इसकी आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया (ईपीआर) योजना एक अनिवार्य आवश्यकता है।

(ख) एनडीएमए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सभी स्थलों के लिए ऑफ-साइट ईपीआर योजना और सार्वजनिक डोमेन में प्रतिक्रिया क्रियाएँ जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ समन्वय में तैयार की जाती हैं। तैयारियों के स्तर को और मज़बूत करने के लिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा ऑफ-साइट आपातकालीन अभ्यास आयोजित करने की एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है। आपातकालीन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विभिन्न प्रकार के अभ्यासों की संकल्पना की जाती है और उनका संचालन किया जाता है।

उपरोक्त योजना में पुलिसकर्मी भी हितधारकों में से एक हैं। उन्हें समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, एनडीएमए सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण हेतु 7 परमाणु संयंत्र स्थलों के आसपास रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

एनडीएमए ने परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों से संबंधित किसी भी स्रोत की पहचान करने के लिए देश के 56 शहरों के पुलिस स्टेशनों में तीन अलग-अलग प्रकार के उपकरण वितरित किए हैं, जैसे की गो-नो-गो उपकरण, डोसीमीटर और सर्वे मीटर।

एनडीएमए ने हवाई अड्डों/बंदरगाहों पर सीबीआरएन आपातकालीन प्रशिक्षण भी आयोजित किया है ताकि आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं को प्रवेश बिंदुओं पर सीबीआरएन आपात स्थितियों के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके। अब तक, 38 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 1500 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2021-26 की अवधि के लिए स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना 'स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया' के तहत, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) और आतंकवाद के प्रति संवेदनशील शहरों (जिनमें वे शहर शामिल हैं जहां रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं/योजना बनाई जा रही हैं) की ऑफसाइट योजनाओं में काम करने वाले डॉक्टरों को रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के चिकित्सा प्रबंधन पर कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण कार्यशालाएं देश भर में सात परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (एनपीपी) के माध्यम से भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) के तत्वावधान में की जा रही हैं। 2021 से 15 जुलाई, 2025 तक 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 991 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) विकिरण जनित लक्षणों वाले रोगियों के उपचार में समय पर और प्रभावी चिकित्सा प्रतिक्रिया देने में डॉक्टरों की भूमिका को पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों के प्रमुख अस्पताल परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विकिरण आपातकालीन चिकित्सा नेटवर्क का हिस्सा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉक्टरों की क्षमता निर्माण हेतु परमाणु एवं रेडियोलॉजिकल आपातस्थितियों के चिकित्सा प्रबंधन पर समय-समय पर कार्यशाला आयोजित करता है। यद्यपि परमाणु सुविधाओं के निकट चिकित्सा सुविधाएँ और चिकित्सा पेशेवर उपलब्ध हैं, फिर भी सभी प्रमुख शहरों में ऐसे रोगियों के उपचार हेतु सुविधाओं को बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध वर्तमान ईपीआर/सीएमपी योजना सुविचारित और अत्यंत सुदृढ़ है तथा इसे एनडीएमए के मार्गदर्शन में एनपीसीआईएल, डीएई और डीडीएमए द्वारा तैयार किया गया है। ऐसा महसूस किया जाता है कि वर्तमान में, कोरिया के विकिरण आपदा अधिनियम के आधार पर मौजूदा ईपीआर योजना में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

*****